कैन्टीन (जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर) के ठेका सम्बन्धी सूचना एवं शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर में चाय, नमकीन, मिठाई आदि की दुकान कैन्टीन पश्चिमी गेट के ठेके वर्ष 2024–2025 जो दिनांक 01–04–2024 से प्रभावी होगा, के लिये दिनांक– 16.03.2024 को समय दोपहर 12:00 बजे नजारत, जनपद न्यायालय शाहजहॉपुर के नजारत कार्यालय मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। ठेके की शर्तों की जानकारी प्राप्त करने हेतु नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहॉपुर के कार्यालय में सम्पर्क करें।

1. वर्ष 2023–2024 में कैन्टीन पश्चिमी गेट का ठेका रु0 407786/– मात्र में स्वीकृत हुआ था। अतः वर्ष 2024–2025 के लिये उक्त धनराशि में न्यूनतम 10 प्रतिशत की धनराशि जोड़ते हुए ही अर्थात **रु0 448565/–** मात्र का अनुमन्य होगा।

2. निविदाकर्ता को निविदाप्रपत्र जमा करते समय जमानत धनराशि मु0 20000.00 जमा करने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा। सबसे अधिक निविदा वाले को जमानत धनराशि के रूप में रुपया 20000/– एफ0डी0आर0 जमानत राशि तथा अपनी निविदा का 1/4 भाग उसी समय नजारत में जमा करना होगा तथा शेष धनराशि निविदा स्वीकार करते की जमा करनी होगी। जिला जज, शाहजहॉपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार कर दें।

3. यदि ठेका स्वीकार होने पर 1/4 धनराशि जमा करने में यदि कोई शिथिलता पाई गई तो उक्त ठेका जिला जज महोदय द्वारा रद्द किया जा सकता है और जमानत राशि जब्त कर द्वितीय बोली दाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जा सकता है अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशो के अधीन पुनः ठेका निविदा आमंत्रित की जा सकती है तथा पुनः निविदा करने पर कमी अन्तर की वसूली भू–राजस्व की भांति प्रथम निविदा दाता से वसूल की जायेगी।

4. ठेका स्वीकार होने पर यदि ठेकेदार ठेके की राशि जमा करने में असमर्थता/असफलता प्रकट करता है तथा धनराशि जमा नहीं करता है तो उससे वांछित धनराशि भू–राजस्व वसूली के रुप में की जायेगी।

5. जिला जज अथवा उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार की हैसियत, पूर्व इतिहास (यदि कोई हो) तथा उसके चरित्र आदि को ध्यान में रखकर बोली स्वीकार करें। सरकारी बकायेदारों को निविदा का अधिकार नहीं होगा।

6. माल सामग्री के भाव मूल्य सूची जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुसार होगी तथा उसी सूची के अनुसार माल बेचना होगा।

7. जिला जज अथवा उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी को दुकान का समय–समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण के दौरान माननीय जिला जज अथवा उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी सफाई आदि की व्यवस्था को लेकर जो निर्देश देगें, उनका अनुपालन ठेकेदार करेगा। उक्त अनुपालन न होने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। यदि खाने पीने वाली वस्तुयें खराब पाई गईं तो कुल ऐसे माल को नष्ट करने का अधिकार माननीय जिला जज अथवा उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी को होगा।

8. जिस व्यक्ति के नाम ठेका स्वीकार होगा केवल वही ठेकेदार ठेका चलायेगा, अपनी ओर से किसी और व्यक्ति को ठेका संचालन करने का अधिकार बिना जिला जज के पूर्व आदेश प्राप्त किये नहीं देगा।

9. जनपद न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदार को ठेके की समस्त वस्तुओं की क्रय पर 15 प्रतिशत की छूट देनी होगी।

10. ठेकेदार की दुकान पर सफाई एवं बिक्री वाली वस्तुओं को गन्दगी से बचाने की समस्त व्यवस्था करनी होगी तथा ऐसा न करने पर ठेका रद्द किया जा सकता है।

11. शासन अथवा नगर पालिका द्वारा सम्बन्धित कैन्टीन पर यदि कोई कर निर्धारित किया जाता है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का ही होगा।

12. ठेकेदार पकवान बनाने में ऐसे घी/रिफाइण्ड का प्रयोग करेगा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक ना हो। ठेकेदार पान पुड़िया आदि की बिक्री कैण्टीन में नहीं करेगा।

13. दिनांक 01.04.2025 से कैन्टीन पर किसी माल की बिक्री नहीं होगी तथा ठेकेदार को कैन्टीन खाली करना होगा।

14. ठेकेदार अपनी भट्टी आदि ऐसी जगह पर नहीं लगायेगा, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो।

15. शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर जिला जज का निर्णय अंतिम होगा और निर्णय के विरुद्ध ठेकेदार को किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई और शर्तें आवश्यक समझी गईं तो ठेके की निविदा के समय बताई जायेगीं। ठेका किसी ऐसे व्यक्ति के नाम स्वीकार नहीं किया जायेगा जिससे जजी प्रांगण में बैठने से वातावरण दूषित होने की सम्भावना हो।

16. जनपद न्यायालय परिसर के बाहर होटल व चाय आदि के खोखे खोले जाने से ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

17. यदि ठेकेदार द्वारा बिजली के कनेक्शन की मांग की जाती है तो ठेकेदार को उक्त विद्युत कनेक्शन एवं प्रतिमाह बिजली खर्च किये जाने के बिल का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा।

18. ठेके की निविदा से पूर्व निविदाकर्ताओं को अपना आई0डी0 प्रूफ तथा निवास प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

05/03/24
(गरिमा सिंह)
सदस्य
कैन्टीन ठेका नीलामी समिति/
अपर सिविल जज सी0डि0/
ए0सी0जे0एम0
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर

5/3/24
(असमा सुल्ताना)
सदस्य
कैन्टीन ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज सी0डि0
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर

5.3.2024
(आलोक कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष
कैन्टीन ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला जज
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर